सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00186

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 89/2017

1. नाथाराम पुत्र चरणदास जाति अरोड़ा निवासी चक 36 जीजी प्रथम जोधेवाला तहसल व जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उप तहसीलदार भू–अभिलेख चूनावढ।
2. हरीश कुमार पुत्र स्व0 होवनदास पुत्र रेमलदास जाति अरोड़ा निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. श्रीमती लाजवन्ती पत्नी स्व0 होवनदास पुत्र रेमलदास जाति अरोड़ा निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 होवनदास पुत्र रेमलदास जाति अरोड़ा निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. विमला रानी पुत्री स्व0 होवनदास पुत्र रेमलदास जाति अरोड़ा निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. कान्ता रानी पुत्री स्व0 होवनदास पुत्र रेमलदास जाति अरोड़ा निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. वीना कुमारी पुत्री स्व0 होवनदास पुत्र रेमलदास जाति अरोड़ा निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8.

रेस्पोडेन्टस

"अपील विरूद्व इन्तकाल संख्या 414 दिनांक 14.09. 2017 उप तहसीलदार चूनावढ"

उपस्थित :

1.श्री सुभाष मिढा अधिवक्ता अपीलार्थी

2.श्री गुरप्रीत सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

:: आदेश :: **दिनांक :– 07.08.2019**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपने रकबा चक 36 जीजी प्रथम के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1 ता 13 की 12 बीघा 10 बिस्वा खातेदारी भूमि के लिए स्व0 होवनदास के रकबा मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 23 व 18 की पूर्वी दिशा में रास्ता स्वीकृत करने के लिए उपखण्ड अधिकारी राजस्व, श्रीगंगानगर में एक आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आरटीएक्ट पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 05.01.2016 को किया जाकर गलत तौर से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया जिस पर अपील राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर में पेश की गई जो कि अपील संख्या 43/16 पर दर्ज होकर निर्णय दिनांक 04.07.2016 को किया जाकर अपील स्वीकार की जाकर रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 के द्वारा प्रार्थना पत्र नजरसानी प्रकरण संख्या 19 एम/16 पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 17.07.2017 को किया जाकर रास्ता स्वीकृत करने

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

का आदेश पारित करते हुए रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में अपीलांट के रकबा में से 0.012 हैक्टर भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 को देने का आदेश दिया गया। नजरसानी के आदेश दिनांक 17.07.2017 से पूर्व राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के पूर्व आदेश दिनांक 04.07.2016 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा इन्तकाल संख्या 396/08.08.2016 को दर्ज किया जो दिनांक 08.08.2016 को स्वीकृत किया गया। नजरसानी के आदेश दिनांक 17.07.2017 के अनुसार पूर्व आदेश दिनांक 04.07.2016 को निरस्त कर दिया गया तथा मु0न0 36 के किल नम्बर 20,21 में रास्ता स्वीकृत करते हुए इस रास्ता की एवज में अपीलार्थी से केवल 0.012 हैक्टर भूमि ही होवनदास के वारिसान के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया तथा इसी आदेश की ही पटवारी द्वारा पालना करनी थी क्योंकि पूर्व का आदेश दिनांक 04.07.2016 निरस्त हो जाने से इन्तकाल संख्या 396/08.08.2016 में रदोबदल होकर भूमि पूर्व खाता के अनुसार पक्षकारों के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी तथा राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 17.07.2017 के अनुसार रेस्पोडेन्ट सख्या 02 ता 07 के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी मगर पटवारी हल्का ने अपीलांट की 0.012 हैक्टर भूमि के स्थान पर स्वयं की मर्जी से मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 13 की भूमि में से 0.012 हैक्टर के आगे 0.026 हैक्टर जोड़ते हुए कुल 0.038 हैक्टर का इंतकाल संख्या 414 बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के गलत तौर से रेस्पोडेन्ट के मृतक पिता होवनदास के नाम दर्ज कर पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को बुलाये व सुने स्वीकृत करने का गलत आदेश पारित किया जिसे निरस्त कर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने लिखित बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अपने रकबा चक 36 जीजी प्रथम के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1 ता 13 की 12 बीघा 10 बिस्वा खातेदारी भूमि के लिए स्व0 होवनदास के रकबा मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 23 व 18 की पूर्वी दिशा में रास्ता स्वीकृत करने के लिए उपखण्ड अधिकारी राजस्व, श्रीगंगानगर में एक आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आरटीएक्ट पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 05.01.2016 को किया जाकर गलत तौर से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया जिस पर अपील राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर में पेश की गई जो कि अपील संख्या 43/16 पर दर्ज होकर निर्णय दिनांक 04.07.2016 को किया जाकर अपील स्वीकार की जाकर रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 के द्वारा प्रार्थना पत्र नजरसानी प्रकरण संख्या 19 एम/16 पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 17.07.2017 को किया जाकर रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित करते हुए रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में अपीलांट के रकबा में से 0.012 हैक्टर भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 को देने का आदेश दिया गया। नजरसानी के आदेश दिनांक 17.07.2017 से पूर्व राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के पूर्व आदेश दिनांक 04.07.2016 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा इन्तकाल संख्या 396/08.08.2016 को दर्ज किया जो दिनांक 08.08.2016 को स्वीकृत किया गया। नजरसानी के आदेश दिनांक 17.07.2017 के अनुसार पूर्व आदेश दिनांक 04.07.2016 को निरस्त कर दिया गया तथा मु0न0

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

36 के किल नम्बर 20,21 में रास्ता स्वीकृत करते हुए इस रास्ता की एवज में अपीलार्थी से केवल 0.012 हैक्टर भूमि ही होवनदास के वारिसान के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया तथा इसी आदेश की ही पटवारी द्वारा पालना करनी थी क्योंकि पूर्व का आदेश दिनांक 04.07.2016 निरस्त हो जाने से इन्तकाल संख्या 396/08.08.2016 में रदोबदल होकर भूमि पूर्व खाता के अनुसार पक्षकारों के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी तथा राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 17.07.2017 के अनुसार रेस्पोडेन्ट सख्या 02 ता 07 के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी मगर पटवारी हल्का ने अपीलांट की 0.012 हैक्टर भूमि के स्थान पर स्वयं की मर्जी से मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 13 की भूमि में से 0.012 हैक्टर के आगे 0.026 हैक्टर जोड़ते हुए कुल 0.038 हैक्टर का इंतकाल संख्या 414 बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के गलत तौर से रेस्पोडेन्ट के मृतक पिता होवनदास के नाम दर्ज कर पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को बुलाये व सुने स्वीकृत करने का गलत आदेश पारित किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फ़रमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट को बार–बार आवाजे लगाने के बावजूद उपस्थित नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि इंतकाल संख्या 414 बिना किसी सक्षम न्यायालय आदेश के अनुरूप नहीं भरा गया है। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीगंगागर को प्रकरण इस आधार पर रिमाण्ड किया जाता है कि राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 17.07.2017 के अनुरूप नामान्तरकरण भरा जावें और अगर कोई पक्षकार मृत हो गये है तो उनके वारिस के नाम से नामान्तकरण भरा जावें। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर